अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण/विशेष ध्यान अपेक्षित

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः परिषद–9/ 254 दिनांक 18 मई, 2016

विषयः माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों तथा कक्षा–9 एवं 11 में अग्रिम पंजीकरण कराये जाने संबंधी शुल्क में वृद्धि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि शासन ने अपने पत्र संख्याः 403/15–7–2016 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्याः 648/15–7–2016 दिनांक 27 अप्रैल, 2016 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों तथा कक्षा–9 एवं 11 में अग्रिम पंजीकरण कराये जाने संबंधी शुल्क में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा–16(2) के अन्तर्गत निम्नवत् प्रदान कर दी हैः–

अध्याय–बारह–विनियम–3(ख)

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
3(ख) परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा–9 तथा 11 में प्रवेश लेते समय विहित प्रपत्र पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्मतिथि से सम्बन्धित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 20.00 (बीस रूपये) संस्था के प्रधान को देना होगा। **टिप्पणी–** पंजीकरण फार्म के साथ ही पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा एवं राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।	3(ख) परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश लेते समय विहित प्रपत्र पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्मतिथि से संबंधित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 50(पचास) संस्था के प्रधान को देना होगा। संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकरण शुल्क निम्नांकित प्रकार से जमा किया जायेगाः– 1–10 रूपये विद्यालय के खाते में। 2–20 रूपये राजकीय कोष में। 3–20 रूपये सचिव, मा0शि0प0, उ0प्र0, इलाहाबाद के खाते में।

विनियम–22

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
22– 1–हाईस्कूल परीक्षा (क)संस्थागत परीक्षार्थी 80 रूपये (ख)व्यक्तिगत परीक्षार्थी 100 रूपये	22– 1–हाईस्कूल परीक्षा (क)संस्थागत परीक्षार्थी 200 रूपये (ख)व्यक्तिगत परीक्षार्थी 300 रूपये
3–इण्टरमीडिएट परीक्षा (क)संस्थागत परीक्षार्थी 90 रूपये (ख)व्यक्तिगत परीक्षार्थी 150 रूपये	3–इण्टरमीडिएट परीक्षा (क)संस्थागत परीक्षार्थी 220 रूपये (ख)व्यक्तिगत परीक्षार्थी 400 रूपये
4(ग)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–एक परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी 80 रूपये (घ)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–एक परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी 150 रूपये (ड0) इण्टरमीडिएट कृषि भाग–दो परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी 80 रूपये (च)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–दो परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी 150 रूपये	4(ग)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–एक परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी 220 रूपये (घ)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–एक परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी 400 रूपये (ड0) इण्टरमीडिएट कृषि भाग–दो परीक्षा संस्थागत परीक्षार्थी 220 रूपये (च)इण्टरमीडिएट कृषि भाग–दो परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी 400 रूपये
9(ख)किसी संस्थागत परीक्षा के अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क 20 रूपये।	9(ख)किसी संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क 100 रूपये।
10(ख)किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क 20 रूपये।	10(ख) विखण्डित
14 इस अध्याय के विनियम–28 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क 50 रूपये प्रत्येक परीक्षा के लिए।	14 इस अध्याय के विनियम–28 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क 100 रूपये प्रत्येक परीक्षा के लिए।
15 जिस वर्ष में परीक्षा हुयी थी उसकी 31 मार्च से 5 वर्ष के अन्दर न लिये गये प्रमाणपत्र का शुल्क 20 रूपये।	15 जिस वर्ष में परीक्षा हुयी थी उसकी 31 मार्च से 5 वर्ष के अन्दर न लिये गये प्रमाणपत्र का शुल्क 200 रूपये।
16 किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये प्रव्रजन प्रमाणपत्र निर्गत होने का शुल्क 20 रूपये।	16 किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये प्रव्रजन प्रमाणपत्र निर्गत होने का शुल्क 200 रूपये।
17 संस्था के प्रधानों को परीक्षाफल पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां प्रेषित करने का शुल्क 10 रूपये प्रथम 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये 5 रूपये।	17 संस्था के प्रधानों को परीक्षाफल पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां प्रेषित करने का शुल्क 50 रूपये प्रथम 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये 15 रूपये।

शासन के पत्र के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु दिनांक 30,अप्रैल, 2016 के राजकीय गजट के भाग–4 में विज्ञप्ति संख्याः परिषद–9/94 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 का प्रकाशन करा दिया गया है।

कक्षा–9 एवं 11 में अग्रिम पंजीकरण कराये जाने संबंधी शुल्क में वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रारम्भ हुए शैक्षिक सत्र–2016–17 से प्रभावी होंगी। इसी प्रकार हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क की संशोधित दरें वर्ष–2017 की परीक्षा से प्रभावी होंगी। अन्य शुल्कों* में हुई वृद्धि दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के राजकीय गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

कृपया उक्त शासनादेश से अपने जनपद के समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैरसहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को अपने स्तर से अवगत करा दें। उचित होगा कि इस संबंध में प्रधानाचार्यों की एक बैठक भी आहूत कर ली जाय। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु शुल्क की संशोधित दरों का व्यापक प्रचार किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी जाय।

प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इस ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः परिषद–9/ 244-6 दिनांक 15 मई, 2016

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– संयुक्त सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय– मेरठ, बरेली, वाराणसी एवं इलाहाबाद।
5– उपसचिव(सिस्टमसेल)/अभिलेख/प्रमाणपत्र/प्राप्तांक/समन्वय/कोष/गोपनीय/केन्द्रीय यूनिट/समादेश/नियोजन/केन्द्रस्थापना/प्रबन्ध/नियुक्ति/शोध/पा0पु0रा0/सूचनासेल मा0शि0प0, मुख्यालय इलाहाबाद।
6– स्टेनो, सचिव/ अपरसचिव(प्रशासन)/उपसचिव(प्रशासन) मा0शि0प0, मुख्यालय, इलाहाबाद।

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।